भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2843

जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

कोयला उत्पादन

2843. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री राहुल रमेश शेवाले:
श्री गिरीश भालचन्द्र बापट:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जून, 2022 में कोयला उत्पादन में लगभग 32.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश अपनी पूरी क्षमता से कोयले का उत्पादन नहीं कर रहा है और आयात को बढ़ावा दे रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) देश की कुल कोयला उत्पादन क्षमता और उत्पादित किए जा रहे कोयले की मात्रा कितनी है;

(च) पूरी क्षमता से कोयले का उत्पादन नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(छ) सरकार द्वारा देश को कोयले के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और इसके आयात को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख): देश में 2022-2023 (अप्रैल-जून'22) में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 156.11 मि.ट. की तुलना में 204.876 मिलियन टन (मि.ट.) कोयले का उत्पादन हुआ है, जो लगभग 31% की वृद्धि है।

(ग) से (च): देश में कोयले के सबसे बड़े उत्पादक कोल इंडिया लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 28.9% की वृद्धि हासिल करते हुए 159.75 मि.ट. का उत्पादन किया है। इसी प्रकार, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 16.92 मि.ट. कोयले का उत्पादन किया है जिससे पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.6% की वृद्धि हासिल की है। 2022-23 के लिए

कोयला उत्पादन लक्ष्य की तुलना में सीआईएल और एससीसीएल का कोयला उत्पादन निम्नानुसार है:-

(आंकडे मिलियन टन में)

कंपनी	वार्षिक उत्पादन लक्ष्य	पहली तिमाही का उत्पादन लक्ष्य	पहली तिमाही में उत्पादन (अनंतिम)
सीआईएल	700.00	165.94	159.75
एससीसीएल	70.00	17.08	16.92

(छ): देश को कोयले के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और इसके आयात को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 को अधिनियमित करना: इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि कैप्टिव खान स्वामी (परमाणु खनिज से भिन्न) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पद्धति से खान के साथ संबद्ध अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद और ऐसी अतिरिक्त राशि का भुगतान करने पर खुले बाज़ार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक विक्रय कर सकते है। यह कदम कोयला उत्पादन बढाने के लिए कोयला ब्लॉक आवंटितियों को प्रोत्साहित करने का एक प्रयास है।

ii. राजस्व शेयरिंग आधार पर कोयला ब्लॉकों की वाणिज्यिक नीलामी।

iii. नियमित निगरानी: नियमित समीक्षाएं करने और ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए समिति के सदस्यों के रूप में संबंधित मेजबान राज्यों के मुख्य सचिवों, सचिव (एमओईएफएंडसीसी), कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) और सीएमपीडीआईएल के साथ सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति का गठन किया गया है।

iv. सिंगल विंडो क्लीयरेंस: केंद्र सरकार ने कोयला खानों के संचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र के लिए 11.01.2021 को सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल आरंभ किया है।

v. स्वदेशी उत्पादन / आपूर्ति का 80% से अधिक का योगदान करने वाली कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने देश में कोयले के अनावश्यक आयात को समाप्त करने और स्वदेशी रूप से कोयले की मांग को पूरा करने के लिए लगभग 600 मि.ट. के अपने वर्तमान उत्पादन स्तर से वर्ष 2024-25 तक एक बिलियन टन (बि.ट.) कोयले के स्तर तक पहुंचने के लिए अपने उत्पादन में वृद्धि करने हेतु एक योजना की परिकल्पना की है। सीआईएल ने पहले ही अपेक्षित सभी संसाधनों और एक बि.ट. उत्पादन की योजना प्राप्त करने के लिए ईसी/एफसी, भूमि अधिग्रहण, निकासी बाधाओं आदि की आवश्यकता जैसे अपने संबंधित मुद्दों/क्षमताओं की पहचान कर ली है।

*****